



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 857]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938

No. 857]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसंबर, 2016

सा.का.नि.1140(अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) और उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 में,

(i) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(ख) "प्राधिकरण" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन यथा अधिसूचित केन्द्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;";

(ii) नियम 5 के उपनियम (1) और उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. जे-22012/31/2005-सीएस(डब्ल्यू)]

बृजेश सिक्का, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 951(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 252(अ), तारीख 24 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. सं. 617(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014, सा.का.नि. सं. 824(अ), तारीख 14 नवंबर, 2014 और सा.का.नि. 481(अ), तारीख 3 मई, 2016 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 December, 2016

G.S.R. 1140 (E) .- In exercise of the powers conferred by section 25 read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby make the following rules further to amend the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, namely:-

1. (1) These rules may be called the Wetlands (Conservation and Management) Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010,
 - (i) for clause (b) of sub- rule (1) of rule 2, the following shall be substituted, namely:-
“ (b) “Authority” means the Central Wetlands Regulatory Authority as notified under sub- section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986,”;
 - (ii) sub - rules (1) and (2) of rule 5 shall be omitted.

[F. No. J-22012/31/2005-CS (W)]

BRIJESH SIKKA, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette *vide* number G.S.R. 951 (E), dated the 4th December, 2010 and subsequently amended *vide* G.S.R. 252 (E), dated the 24th March, 2011; G.S.R. 617 (E), dated the 22nd August, 2014; G.S.R. 824 (E), dated the 14th November, 2014; and G.S.R. 481 (E), dated the 3rd May, 2016.